



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 4770

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 44845 सन् 2025

अभिषेक राजभर

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता :- देवोत्तम पांडेय , प्रमोद कुमार सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता :- सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार सिंह, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री विजेन्द्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

यह जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत अभियुक्त-आवेदक अभिषेक राजभर की ओर से, अपराध संख्या 441/2025 में – जो कि गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5A/8, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61(2) के अंतर्गत, थाना बैरिया, जिला बलिया में पंजीकृत है – में विचाराधीन जमानत पर रिहाई हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक निर्दोष है। उसे इस अपराध में झूठा फँसाया गया है और वह दिनांक 13.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि अवरोधन के दौरान कोई मांस बरामद नहीं हुआ। अभियोजन के अनुसार 07 जीवित पशु एवं एक मृत बछड़ा बरामद किया गया। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसके जमानत पर रिहा होने की स्थिति में न्याय से पलायन या साक्ष्य से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विद्वान अपर महाधिवक्ता ने जमानत याचना का प्रबल विरोध किया।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, साक्ष्य की सहायक प्रकृति, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका एवं प्रथम दृष्टया मामले को दृष्टिगत रखते हुए, परंतु प्रकरण की गुणावगुणता पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का प्रकरण बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक **अभिषेक राजभर** को उपर्युक्त अपराध संख्या में व्यक्तिगत मुचलका एवं दो विश्वसनीय जमानतदार, प्रत्येक समान राशि में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों को दबाएगा/भयभीत नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहेगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

8 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश